1/358361/2023

संख्या **५** ८/2023/ 2320/26-3-2023/C.N.-1396097

⁻ प्रेषक.

रजनीश चन्द्र, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में.

- 1-निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ०प्र लखनऊ।
- 2-निदेशक, जनजाति विकास, उ०प्र० लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 28 जुलाई, 2023

विषय-वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2023-24 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा 9-10) छात्रवृत्ति योजना में आनलाइन आवेदन से लेकर वितरण हेतु प्रस्तावित समय-सारिणी हेतु शासनादेश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय.

उपर्युक्त विषयक निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-2171/स०क०/ शिक्षा-अ/2/2023-24 दिनांक 19.07.2023 एवं निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-2001/स०क०/शिक्षा-अ/3/2023-24 दिनांक 05.07.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2023-24 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा 9-10) छात्रवृत्ति योजना में आनलाइन आवेदन से लेकर वितरण हेतु प्रस्तावित समय-सारिणी जारी करने के लिए शासनादेश निर्गत किये जाने का अनरोध किया गया है।

2- निदेशक, समाज कल्याण द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2023-24 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा 9-10) की कक्षाओं से सम्बन्धित विद्यालयों को मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने, छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन से छात्रवृत्ति वितरण तक की समस्त कार्यवाही हेतु वर्ष 2023-24 के लिए विस्तृत समय

सारिणी जारी की जानी है।

तत्क्रम में वर्ष २०२३-२४ के लिये निम्नलिखित विवरण के अनुसार समय-सारिणी प्रस्तावित है:-

क्र0सं0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	प्रस्तावित समयावधि		
1	2	3		
मास्टर डाटा				
1	विद्यालय द्वारा मास्टर डाटा तैयार करना	07 अगस्त 2023 से		
	प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा मास्टर डाटाबेस	08 सितम्बर 2023 तक		
	में सम्मिलित होने के लिये आनलाइन आवेदन करने की			
	कार्यवाही किया जाना, जिला विद्यालय निरीक्षक के समक्ष			
	समस्त प्रपत्र प्रस्तुत करना, तदोपरांत जिला समाज कल्याण			
	अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना (नवीन संस्थायें) एवं मास्टर			
<u> </u>	डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर/अपलोड करके प्रमाणित			
	करना।			
2	जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सत्यापन	08 अगस्त 2023 से		
	सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उनकी अधिकारिता	15 सितम्बर 2023 तक		
	में आने वाले समस्त विद्यालयों की मान्यता एवं स्वीकृत सीटों			
	की संख्या एवं प्रोफाइल को आनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से			
	सत्यापित करना।			
कक्षा 9-10 के छात्र/छात्राओं हेतु आनलाइन आवेदन व अन्य प्रक्रिया				
3	छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन	10 अगस्त 2023 से		
	छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन किया जाना।	10 अक्टूबर 2023 तक		
4	छात्र द्वारा त्रुटियों को सुधार करने व फाइनल प्रिन्ट आउट			
	निकालने से पूर्व 03 कार्य दिवसों में	पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट		

I/358361/2023

	व्यवस्थाओं वाप किये को आवस्था अधीर में की नी ले	1 2 		
	छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों	आउट निकालने से पूर्व तीन		
	को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के	कार्य दिवसों में।		
	पोर्टल पर स्टूडेन्ट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।			
5	हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित	आवेदन पत्र भरने के 07 दिन के		
	विद्यालय में जमा किया जाना	अन्दर, विलम्बतम 13 अक्टूबर		
	छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी	2023 तक		
ļ	समस्त वांछित संलग्नकों सहित विद्यालय में जमा किया जाना।			
6	विद्यालय द्वारा आवेदन पत्र को आनलाइन सत्यापित एवं	14 अगस्त 2023 से		
	अग्रसारित करना	17 अक्टूबर 2023 तक।		
	छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं			
	संलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का			
	विद्यालय द्वारा मिलान किया जाना एवं आनलाइन आवेदन			
	प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का डाटा निरस्त करना तथा पात्र			
	छात्रों का आवेदन आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।			
7		40.3		
7	नवीनीकरण न करने वाले छात्रों के चिन्हीकरण हेतु भौतिक सत्यापन	13 अक्टूबर 2023 से		
		31 अक्टूबर 2023 तक।		
	छात्र द्वारा आवेदन पत्र नवीनीकरण (Renewal) न करने का			
 	कारण विद्यालय द्वारा आनलाइन छात्र के सम्मुख अंकित			
	किया जाना एवं जिलाधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं			
	कल्याण् विभाग् के अधिकारियों द्वारा टीम बनाकर विद्यालयों			
	एवं छात्रों का भौतिक सत्यापन किया जाना।			
8	जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वास्तविक छात्रों का	18 अक्टूबर 2023 से		
İ	सत्यापन करना	14 दिसम्बर 2023 तक		
	सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 9-10 हेतु) द्वारा			
	वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को			
	आनलाइन सत्यापित करना।			
भुगतान की प्रक्रिया				
9	एन0आई0सी0 द्वारा स्क्रूटनी	18 अक्टूबर 2023 से		
	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त	31 अक्टूबर 2023 तक		
	किया जाना एवं एन०आई०सी० की राज्य इकाई में निर्धारित			
	विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना।	,		
10	त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना	01 नवम्बर 2023 से		
	सन्देहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र, विद्यालय के लागिन	06 नवम्बर 2023 तक		
	पर प्रदर्शित किया जाना एवं आनलाइन आवेदन में की गयी	00 1444 2023 (14)		
	त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक किया जाना।			
		allari simber de more		
11	छात्रों द्वारा सही आवेदन को जमा करना	त्रुटियां संशोधन के पश्चात		
	छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की त्रुटियों को			
	ठीक करके हार्डकापी समस्त वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण	तक		
	संस्था में जमा किया जाना।			
12	संस्था द्वारा पुनः अग्रसारित कराना	02 नवम्बर 2023 से		
	त्रुटियों को ठीक करके छात्र द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्रों	13 नवम्बर, 2023		
	का विद्यालय द्वारा संलग्न अभिलेखों से मिलान करके			
	आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।			
13	एन0आई0सी0 द्वारा पुनः स्कूटनी	14 नवम्बर 2023 से		
	छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0	21 नवम्बर 2023 तक		
	की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया			
	जाना। तदोपरान्त जनपदीय लागिन पर प्रदर्शित किया जाना।			
	<u></u>			

1/358361/2023

14	जनपदीय समिति द्वारा शुद्ध एवं संदेहास्पद डाटा लॉक	01 नवम्बर 2023 से
	करना	20 दिसम्बर 2023 तक
	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं शुद्ध	
	डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं पात्र छात्रों की	
	छात्रवृत्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय	
	अधिकारी के र्डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	
15	मांग सुजन	26 दिसम्बर 2023 तक
	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से	
	लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से	
	माँग सृजित कराना।	
16	धनराशि का अन्तरण	29 दिसम्बर 2023 तक
	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से	
	लॉक डाटा के आधार पर PFMS प्रणाली के माध्यम से	
	छात्र/छात्राओं को धनराशि का भुगतान किया जाना।	
17	अनुसूचित जाति के छात्रों को 60 प्रतिशत केन्द्रांश भुगतान हेतु	08 जनवरी 2024 तक
	भारत सरकार को डाटा शेयर किया जाना।	- 11 - 12 - 1

नोट:- कक्षा 10 में अध्ययनरत नवीनीकरण के छात्र को केवल कक्षा 10 में प्रवेश की तिथि तथा गत कक्षा 09 का परीक्षाफल अंकित करते हुये आनलाइन आवेदन किया जाना है, जिसे संस्था द्वारा सत्यापित करते हुये

अग्रसारित किया जाएगा।

3- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत शासनादेशो/ छात्रवृत्ति नियमाविलयों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2023-24 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(रजनीश चन्द्र)

Date: 28-07-2023 17:05:54

Signed जिस्रोपनमीक्षाकान्द्र

<u>पृ0सं0 एवं दिनाक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुस्टिश्वका: Approved

1- महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज।

- 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/ वित्त/नियोजन/ मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र० द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

5- निदेशक, कोषागार, उ०प्र०लखनऊ।

6- निदेशक, पिछडा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र०लखनऊ।

7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

- 8- निदेशक, एन०आई०सी० राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
- 9- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ०प्र० द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।

१०- गार्ड फाईल।

आज्ञा से.

(रजनीश चन्द्र) विशेष सचिव।